नारीवादी सिद्धांतों की पुष्टि

नारीवादी सिद्धांतों की पुष्टि

हम विश्वभर की संस्थाओं के प्रतिनिधि और व्यक्तिगत स्तर पर कार्यरत लोगो का समूह है जो इस पत्र के माध्यम से अपने साझा विश्वास पर ज़ोर देने के लिए एक साथ आए हैं। हमारा मानना है कि न्याय, समानता और स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए, हम सब को एकजुट होकर हम पर अत्याचार और बहिष्कार करने वाले और सत्ता के पितृसत्तात्मक ढांचों का मुकाबला करके उन्हें नष्ट करना होगा।

हम कुछ प्रमुख नारीवादी सिद्धांतों और उनके यौनिक प्रवृत्ति, जेन्डर पहचान, जेन्डर अभिव्यक्ति और यौनिक विशेषताओं के साथ जुड़ावों की पुष्टि करते हैं।

ट्रांस, इंटेरसेक्स और जेन्डर की द्विधुरियों (binary) से परे जीने वाले (जेन्डर नॉन-बाइनरी) लोगों की नारीवादी आंदोलनों में बराबर मौजूदगी की मज़बूती को मान्यता देते हुए, हम उनकी इस महत्वपूर्ण जगहआंदोलन में कायम रखने पर ज़ोर देते हैं।

हम इस मान्यता को रेखांकित करते हैं कि मानवाधिकार किसी भी मानव के बीच अंतर नहीं करता, वको सर्वव्यापी, अखंड और अहरणीय होता है।

हम पुष्टि करते हैं कि किसी भी समूह के मानवाधिकारों की मान्यता किसी अन्य समूह के अधिकारों के बदले नहीं आती। इन सांझे सिद्धांतों और मूल्यों ने हर जगह के विविध नारीवादी आंदोलनों को एकजुट रखा है।

हम में से कई लोग ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कि जेन्डर और सेक्स की द्विधुरियों की पश्चिमी अवधारणा पर आधारित है, जो कि विषमनियामकता (hetronormativity) के साथ मिलकर, औरतों तथा जो भी इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण नहीं करता, या नहीं कर सकता, और इस कारण से वह पितृसत्ता के लिए खतरा बन जाता है - उनके प्रति प्रणालीगत दमन और ढांचागत भेदभाव का कारण बन जाती है।

हमारा सांझा संघर्ष इस जानकारी पर आधारित है कि यह सामाजिक अवधारणाएँ - नस्ल, वर्ग और जाति जैसी पहचान की अन्य श्रेणियों और उनके अन्यायपूर्ण सत्ता के ढांचों को कायम रखने में मदद करती हैं। जेन्डर, लिंग, यौनिकता व पहचान के अन्य पहलुओं के आधार पर होने वाले भेदभाव का उत्पीड़ित समूहों और लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मिसालों, विभिन्न प्रादेशिक और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रणालियों जिनमें संधि संस्थान, विशेषज्ञ, और न्यायविद शामिल हैं, ने जेन्डर को सामाजिक अवधारणा के रूप में बहुतायत से मान्यता दी है।

हम इस सोच को मानने से इंकार करते हैं की हम अपने 'लिंग' के कारण विशिष्ट, अपरिवर्तनीय लक्षणों के साथ पैदा होते हैं - हमारा मानना है कि ऐसी सामाजिक रूप से हानि पहुंचाने वाली रूढ़िबद्ध धारणाएँ जेन्डर भूमिकाएँ और मानक जेन्डर असमानताओं को जन्म देती हैं ।

ऐतिहासिक स्तर पर कई नारीवादियों ने चुनाव किया है कि वे उन लोगों के अधिकारों का समर्थन करेंगे जिन्होंने जेन्डर, लिंग और यौनिकता की सीमाओं को पार किया है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम सब की स्वाधीनता मौलिक और आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है।

नारीवादी, मानव और सामाजिक अधिकार आंदोलनों को लोकतंत्र और मौलिक स्वतंत्रता को होने वाले खतरों के खिलाफ, और मानव अधिकार, सामाजिक न्याय तथा बराबरी के सिद्धांतों के पक्ष में एकजुट खड़े होना है।

नारीवादी सत्ता विश्लेषण के अंतर्गत, हमारा मानना है कि हमारे जेन्डर, लिंग और यौनिकता के अनुभवों में कोई समानता नहीं है, और विविध लोग अलग-अलग स्तरों के भेदभाव, दमन और विशेषाधिकारों का अनुभव करते हैं।

अंतर्खंडीयता (Intersectionality), नारीवाद, और लेस्बियन, गे, बाइसेक्शूअल, इंटरसेक्स तथा द्विधुरियों को न मानने वाले लोगों के अधिकारों पर लगातार सीखने और अपनी समझ को गहरा बनाने के प्रति हम वचनबद्ध हैं, और साथ ही लिंगवाद, जातिवाद और उपनिवेशवाद के हमारे अंदर बसे हुए व्यवहारों को बदलने के लिए भी।

हमारा पूरा विश्वास है कि सभी ट्रांस, इंटरसेक्स और गैर-द्विधुरी लोगों के मानव अधिकार की प्राप्ति के बिना जेन्डर समानता प्राप्त नहीं की जा सकती।

नारीवादी सिद्धांतों की पुष्टि

कुछ प्रमुख नारीवादी सिद्धांतों की पुष्टि:

1. मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता, गैर-भेदभाव, और हिंसा से मुक्ति: मानव अधिकार हर व्यक्ति में निहित होते हैं, चाहें वे कोई भी जेन्डर, यौनिक प्रवृत्ति, जेन्डर पहचान, जेन्डर अभिव्यक्ति और लिंग विशेषताएँ रखते हों। सभी व्यक्तियों को अपने अखंड अधिकार और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने और प्रयोग करने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति या संस्थान को किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक मानव अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। किसी एक समूह के लोगों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए किसी अन्य समूह के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना पड़ता।

2. शारीरिक स्वायत्तता, संपूर्णता, अधिकार और पहचान का अधिकार: हर किसी को अपने जीवन, शरीर, भविष्य, और अपने रहने तथा काम करने के वातावरण से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार और क्षमता है। हर व्यक्ति के इन विषयों पर निर्णय लेने से पहले उन्हें निःशुल्क, पूर्व एवं सूचित सहमति का अधिकार है, विशेषकर जब यह निर्णय उनके स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित हों। इसका मतलब है कि निम्नलिखित पहलुओं को मान्यता दी जाए:

क. यौन कार्य को काम के रूप में:

ख. सुरक्षित, प्राप्य, और कानूनी मान्यता प्राप्त गर्भ-समापन करवा पाना एक मानव अधिकार है, और हर व्यक्ति को अपने प्रजनन-तंत्र संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए;

ग. इंटरसेक्स तथा ट्रांस लोगों को अपने शरीर और जीवन से जुड़े निर्णय खुद लेने चाहिए;

घ. पहचान का अधिकार, बिना किसी हस्तक्षेप के, खुद की जेन्डर पहचान निर्धारित करने से भी संबंधित है, जिसमें अपना कानूनी जेन्डर निर्धारित करने की स्वतंत्रता भी शामिल है;

ङ. सभी सहमत वयस्कों को अपना साथी चुनने का अधिकार;

च. उनकी यौनिक प्रवृत्ति, जेन्डर पहचान, जेन्डर अभिव्यक्ति और लैंगिक विशेषताओं में बदलाव करने के प्रयासों को अस्वीकार करने का अधिकार और बिना किसी भय के गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार;

छ. किशोरों के मानव अधिकार और गरिमा को बनाए रखने के लिए, उनकी शारीरिक स्वायत्तता, यौनिकता, आनंद और मौलिक स्वतंत्रताओं से संबंधित मामलों पर, उनकी सूचित एवं स्वतंत्र निर्णय लेने की बढ़ती क्षमताओं का सम्मान किया जाए।

3. यातनाओं, बुरे व्यवहार और चिकित्सीय शोषण से स्वतंत्रता: कुछ प्रकार के शरीरों और कुछ विशिष्ट लोगों के समूहों के प्रति उपनिवेशी, पितृसत्तात्मक चिकित्सीयकरण को हम अस्वीकार करते हैं। हम अस्वीकार करते हैं इस मान्यता को कि कुछ अलग प्रकार के शरीरों और दिमागों को 'सही' करने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों का 'उपचार' करने की ज़रूरत है जो पहचान और अभिव्यक्ति की द्विधुरियों के मानकों को नहीं मानते। हम भिन्नता के प्रति सामाजिक असहजता, और इस भिन्नता को मिटाने के प्रयासों की गहरी आलोचना करते हैं। इसका मतलब है कि:

क. इंटरसेक्स शिशुओं, बच्चों और वयस्कों पर, उनकी सम्पूर्ण एवं सूचित सहमति के बिना, कभी भी चिकित्सीय रूप से अनावश्यक सर्जरी या हस्तक्षेप नहीं किए जाने चाहिए।

ख. जो ट्रांस लोग चाहते हैं कि उन्हें जेन्डर निर्धारण हस्तक्षेप, सेवाओं, या अन्य चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें यह सेवाएँ प्राप्त करने से रोका नहीं जाना चाहिए।

ग. समावेशी, संवेदनशील स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएँ सार्वभौमिक रूप से प्राप्य, स्वीकार्य, आसानी से उपलब्ध, और निःशुल्क मिलनी चाहियें, क्योंकि यह मानव अधिकार है, न कि कोई वस्तु या विशेषाधिकार।

4. बाल अधिकार: सभी बच्चों को हर प्रकार की हिंसा, क्षति या उत्पीड़न से मुक्त रहने व अपने अधिकारों को जानने का अधिकार है और उनके गरिमा, कल्याण, स्वास्थ्य और विकास के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। इसके अंतर्गत:

क. इंटरसेक्स बच्चों पर उनकी सहमति के बिना ज़बरदस्ती सर्जरी या हस्तक्षेपी उपचार नहीं होने चाहिए।

ख. एल.जी.बी.टी.क्यू.आई. बच्चों और युवाओं को सामाजिक कलंक, भेदभाव, और शोषण से मुक्त रहने का अधिकार है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक क्षेत्र शामिल हैं।

ग. एल.जी.बी.टी.क्यू.आई. बच्चों को उनकी यौन प्रवृत्ति और जेन्डर पहचान को मान्यता दिए जाने का अधिकार है, और उन्हें गैर-भेदभावपूर्ण, तथा संवेदनशील सेवाएँ और सहयोग मिलना चाहिए।

घ. सभी बच्चों को स्कूलों में जेन्डर परिवर्तनकारी व्यापक यौनिकता शिक्षा मिलनी चाहिए जो कि मानवीय पहचान, यौनिकताओं की विविधता को स्वीकारती हो, और जेन्डर की सामाजिक रचना गैर-भेदभावपूर्ण, अधिकार-आधारित तथा नारीवादी होनी चाहिए;

ङ. जो बच्चे एल.जी.बी.टी.क्यू.आई. परिवारों में पैदा या बड़े होते हैं, उन्हें अधिकार है कि उनके परिवारों को कानूनी, सामाजिक व अन्य स्तरों पर मान्यता मिले।

5. लिंग, जेन्डर और यौनिकता सामाजिक अवधारणाएँ हैं: नारीवादियों ने यह स्थापित कर दिया है कि जेन्डर, लिंग और यौनिकता कुल, वर्ग और जाति की ही तरह बनाई गई पहचान की श्रेणियाँ हैं और इनका उपयोग शक्ति असमनताओं को बनाए रखने तथा दमन की प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यह विचार, कि हम अपने लिंग के आधार पर विशिष्ट, अपरिवर्तनीय लक्षणों के साथ पैदा होते हैं, इसे अस्वीकार कर दिया गया है। और अब यह माना जाता है कि सामाजिक रूप से हानिकारक रूढ़िबद्धताएं, जेन्डर भूमिकाएँ और मानदंडों के कारण समाज में जेन्डर गैर-बराबरी पैदा होती है।

हम दृढ़ और अटूट रूप से किसी भी प्रकार के भेदभाव, हिंसा, अमानवीय बर्ताव और ट्रांस, जेन्डर-विविध तथा इंटरसेक्स लोगों के अवैधिकरण के खिलाफ़ खड़े हैं।

6. अंतर्खंडीयता (इन्टरसेक्शनैलिटी): एक-दूसरे से जुड़े उत्पीड़न के ढांचों के कारण लोगों और समूहों को विभिन्न प्रकार के भेदभाव और नुकसान का सामना करना पड़ता है, जो इस पर निर्भर करता है कि वे नस्ल, उम्र, लिंग, जेन्डर, यौनिक प्रवृत्ति, जेन्डर पहचान और अभिव्यक्ति, लैंगिक विशेषताएं, व अन्य सामाजिक वर्गीकरण की एक-दूसरे से जुड़ी श्रेणियों में कहाँ स्थित हैं। इनके आधार पर लोगों को विशेषाधिकार और सत्ता मिलती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस ओर ध्यान आकर्षित करें जिससे कि हम किसी एक समूह को अति-आवश्यक न मानने लगें और न ही सामाजिक वर्गीकरण में द्विलिंगी मान्यताओं को बढ़ावा देने लगें। हमारा मानना है कि कोई भी मानवीय अनुभव, जिसमें जेन्डर का अनुभव भी शामिल है, एक समान नहीं होता।

7. सभी क्षेत्रों, संस्थानों, संगठनों, संस्थाओं, समाजों, आर्थिक व्यवस्थाओं और पारिस्थितिकी में स्व-निर्धारण और स्वाधीनता: औपनिवेशिक ताकतों द्वारा हमारे क्षेत्रों और हमारे शरीरों पर कब्ज़ा करने के ऐतिहासिक प्रयासों को उपनिवेश-विरोधी नारीवादी लंबे समय से अस्वीकार करते आए हैं। सब लोगों को अपने समुदायों के अंदर और बाहर अपने भविष्य को निर्धारित करने और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार है। हम नस्लवादी, पितृसत्तात्मक, सिस-विषमनियामक सत्ता संरचनाओं को चुनौती देते हैं, जिन्होंने पूरे इतिहास में, यौनिकताओं, जेन्डर और जेन्डर अभिव्यक्तियों की स्वदेशी और विविध समझ को मिटा कर उन्हें अदृश्य बना दिया है। हम कुछ प्रकार के शरीरों और कुछ विशिष्ट समूहों को विकृत रूप में देखने वाले औपनिवेशिक प्रयासों को अस्वीकार करते हैं।

8. अन्यायपूर्ण सत्ता संरचनाओं को चुनौती देना: सत्ता का नारीवादी विश्लेषण द्विधुरियों के पार जाता है; यह केवल 'पुरुष' बनाम 'महिला', युवा बनाम वृद्ध, वैश्विक दक्षिण बनाम वैश्विक उत्तर, आदि तक ही सीमित नहीं है। इसमें कानून की नारीवादी आलोचना शामिल है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून शामिल है, जिसके लिए औपनिवेशी, पितृसत्ता, नस्लवाद, सक्षमतावाद और विषमनियामकता की अवधारणाओं और विचारों पर आधारित सोच को चुनौती देना ज़रूरी है।

नारीवादी सत्ता विश्लेषण सभी अन्यायपूर्ण सत्ता संरचनाओं और उत्पीड़न की प्रणालियों की पहचान करके उन्हें चुनौती देने पर निर्भर करता है, और इसे हम खुद के और अपने आंदोलनों में भी शामिल करते हैं।

हममें से कोई भी स्वतंत्र नहीं हैं जब तक हम सब स्वतंत्र नहीं।

नारीवादी सिद्धांतों की पुष्टि

'नारीवादी सिद्धांतों की पुष्टि' वक्तव्य को नारीवादी एवं मानव अधिकार संस्थाओं, और एल.जी.बी.टी.क्यू.आई.+ तथा ट्रांस-नेतृत्व की संस्थाओं द्वारा एक कड़ी और सामूहिक प्रक्रिया से तैयार किया गया है। इस वक्तव्य पर काम करने वालों में शामिल हैं:

- एशिया पेसिफिक अलायन्स फॉर सेक्शुअल एण्ड रीप्रोडक्टिव हेल्थ एण्ड राइट्स
- एशिया पेसिफिक ट्रांसजेन्डर नेटवर्क
- एसोसिएशन फॉर विमेन्स राइट्स इन डेवलपमेंट
- सी. ओ. सी. नीदरलैंड
- क्रिया
- डिवर्स वॉइसेस एण्ड एक्शन फॉर इक्वालिटी
- जी. ए. टी. ई.
- ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्क प्रोजेक्ट्स
- आई. एल. जी. ए. वर्ल्ड
- इंटरनेशनल प्लैन्ड पेरन्टहुड फेडरैशन
- ल' असोसिएसिओ ड्रेट्स सेक्सुअल्स ई रीप्रोडक्टियस
- आउटराइट एक्शन इंटरनेशनल
- आर. एफ. एस. एल. - द स्वीडिश फेडरैशन फॉर एलजीबीटीक्यूआई राइट्स
- आर. ई. एस. यू. आर. जे.
- ट्रांसजेन्डर यूरोप (टी. जी. ई. यू.)
- अर्जन्ट एक्शन फंड फॉर विमेन्स ह्यूमन राइट्स
- विमेन डिलिवर
- विमेन एन्गैज फॉर अ कॉमन फ्यूचर

इस वक्तव्य के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम हमारे मूल नारीवादी सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए, उस आवाज़ को बुलंद करें जो कई नारीवादी, ऐतिहासिक रूप से, जेन्डर, लिंग और यौनिकता की समझ के संदर्भ में उठाते आए हैं। हम सभी को व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित करते हैं, और कृपया अपने नेटवर्क में इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें।